

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नन्दन सिन्हा,
संयुक्त सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी (HRMS),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अति आवश्यक
ई-मेल

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/
अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 04,
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक- 17/4/26

विषय :- भवन निर्माण विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत विकसित Exit Management Module को लागू करने हेतु विभागीय मास्टर ट्रेनर एवं संबंधित कर्मियों का Virtual प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक-1033, दिनांक-15.04.2026
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि भवन निर्माण विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत विकसित Exit Management Module को लागू करने हेतु विभागीय मास्टर ट्रेनर एवं संबंधित कर्मियों का दिनांक-21.04.2026 एवं 22.04.2026 को 02-02 पालियों में Virtual प्रशिक्षण संलग्न विवरणी के अनुसार आयोजित है।

निर्धारित Virtual प्रशिक्षण के लिये Microsoft Team का लिंक विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को पाली प्रारम्भ होने के 1 घंटा पूर्व प्राप्त लिंक संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के बीच परिचारित कर दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को उक्त Virtual प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करने के लिये अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अवधेश नन्दन सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी (HRMS),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-बि०प्र०सु०मि०सो०/HRMS-04/2025, सो०...1033

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना।
विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, सगी विभाग।
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-15/04/2026

विषय:-

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना अंतर्गत विकसित Exit Management Modual लागू करने हेतु विभागीय मास्टर ट्रेनर एवं संबंधित कर्मियों का Virtual प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग:-

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक-422, दिनांक-13.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना अंतर्गत विकसित Exit Management Modual लागू करने के लिये विभागीय मास्टर ट्रेनर एवं स्थापना के संबंधित कर्मियों का दिनांक-21.04.2026 एवं 22.04.2026 को दो-दो पालियों में Virtual प्रशिक्षण संलग्न विवरणी के अनुसार विभागवार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सचिवालय स्थित निदेशालय एवं अन्य कार्यालयों के सेवांत लाभ के कार्य से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी पैतृक विभाग के लिये निर्धारित पाली में भाग ले सकते हैं।

निर्धारित Virtual प्रशिक्षण के लिये Microsoft Team का लिंक विभागीय आई0टी0 प्रबंधकों को पाली प्रारम्भ होने के 1 घण्टा पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिसे उनके द्वारा संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के बीच प्रचालित कर दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को उक्त Virtual प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करने के लिये अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

15.4.26

(सतीश रंजन सिन्हा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :-

बि०प्र०सु०मि०सो०/HRMS-04/2025 दिनांक-1033 15/04/2026

प्रतिलिपि :-

परियोजना प्रबंधक (HRMS) एवं M/S IPE Global India Ltd., पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.4.26

विशेष कार्य पदाधिकारी

9/2/26
3/1/26
3/1/26
16.04.26

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) अंतर्गत Exit Module लागू करने के लिए विभागीय मास्टर ट्रेनर्स तथा युजर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

क्र.स.	तिथि	प्रथम पाली (11:30 पूर्वाह्न से 01:00 अपराह्न)	द्वितीय पाली (03:00 अपराह्न से 04:30 अपराह्न)
1	21.04.2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2. विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, 3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, 4. पथ निर्माण विभाग, 5. परिवहन विभाग, 6. भवन निर्माण विभाग, 7. उर्जा विभाग, 8. नागरिक उद्बुधन विभाग, 9. नगर विकास एवं आवास विभाग, 10. पर्यटन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 12. ग्रामीण कार्य विभाग। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, 2. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, 3. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, 6. समाज कल्याण विभाग, 7. सामान्य प्रशासन विभाग, 8. वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, 9. खान एवं भूतत्व विभाग, 10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 11. कला एवं संस्कृति विभाग।
2	22.04.2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, 2. विधि विभाग, 3. गृह विभाग, 4. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 5. संसदीय कार्य विभाग, 6. योजना विभाग, 7. निगरानी विभाग, 8. निर्वाचन विभाग, 9. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, 10. गन्ना उद्योग विभाग, 11. सहकारिता विभाग 12. उद्योग विभाग 13. बिहार विधान सभा सचिवालय, 14. बिहार विधान परिषद सचिवालय 	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि विभाग, 2. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, 3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 4. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, 5. लघु जल संसाधन विभाग, 6. पंचायती राज विभाग, 7. जल संसाधन विभाग, 8. शिक्षा विभाग, 9. स्वास्थ्य विभाग, 10. उच्च शिक्षा विभाग, 11. खेल विभाग 12. ग्रामीण विकास विभाग

नोट:- सचिवालय परिसर स्थित सभी विभागीय कार्यालय (निदेशालय आदि) भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे।